ISSN No. : 2394-0344 REMARKING : VOL-1 * ISSUE-9*February-2015

नारी सशक्तिकरण

प्रतिभा चौधरी
शोध छात्रा,
समाजशास्त्र विभाग,
मेवाड़ विश्वविद्यालय,
राजस्थान

कमलेश भारद्वाज
गाइड एवं एसोसिएट प्रोफेसर,
एस. डी. पी. जी. कालेज,
गाजियाबाद

सारांश

"माँ भगवती के साक्षात स्वरूप समान नारी शक्ति का उद्धार किये बिना आपका उद्धार होगा, यदि आप ऐसा मानते हैं तो यह आपकी भूल है।"
स्वामी विवेकानन्द।

मुख्य शब्द : नारी सशक्तिकरण, स्त्रीवादी आन्दोलन, सकारात्मक परिवर्तन

प्रस्तावना

मूल रूप से हमारा समाज एक पुरूष प्रधान समाज रहा है। यहाँ महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जा ही प्रदान किया जाता है। वैसे तो आजादी के बाद से ही महिला उत्थान के उद्देश्य से विभिन्न प्रयास किये जाते रहे हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण में तेजी नजर आयी है। किसी भी समाज का स्वरूप वहाँ की महिलाओं की स्थिति एवं दशा पर निर्भर करता है। जिस समाज में महिलाओं की स्थिति सुदृढ होगी वह समाज सुदृढ होगा। प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ थी। गार्गी, अपाला, विद्योत्मा जैसी नारियॉ इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। परन्तु भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणों के फलस्वरूप धीरे–धीरे महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है। वस्तुतः भारत का सामाजिक ढांचा ही महिलाओं एवं पुरूषों के लिए अलग–अलग भूमिकाओं का निर्धारण करता है। आज अमेरिका सहित विश्व का कोई भी राष्ट्र यह दावा करने में असमर्थ है कि उसके यहाँ किसी भी रूप में महिलाओं का उत्पीडन नही किया जाता है। वर्तमान में महिलाएं तृतीय विश्व की भांति है, जहाँ उनके अधिकार सीमित और कर्त्तव्य असीमित हैं।[1]

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में पानी।" राष्ट्रीय कवि मैथिलिशरण गुप्त की पंक्तियां आज भी नारी की स्थिति को चरितार्थ करती है। प्रसिद्ध स्त्रीवादी चितंक सिमॉन द बुआ ने कहा था कि "औरतें पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती हैं"।[2]

अपनी दोयम दर्जे की स्थिति से संघर्ष के लिए 60 के दशक में नारी मुक्ति आन्दोलन ने जन्म लिया और 20वीं सदी के स्त्रीवादी आन्दोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि "प्रकृति ने औरतों को कमजोर नही बनाया बल्कि देश एवं समाज उसे कमजोर बनाता है"।[3]

एक लम्बे संघर्ष के बाद महिलाओं ने समाज में अपनी स्थिति में सुधार लाने और समाज में अपना स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की है। उनकी स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन नजर आते है। आज की महिलाएं सिर्फ घर गृहस्थी को संभालने तक ही सीमित नही बल्कि उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। व्यावसायिक क्षेत्र हो या पारिवारिक, महिलाओं ने साबित कर दिया है कि वे हर वो काम कर सकती हैं जो कभी पुरूषों के योग्य समझा जाता था।

पिछले 30 सालों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता को बढाने वाले कदमों या उपायों के माध्यम से नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता और मूलभूत मानवाधिकारों तक महिलाओं की पहुँच, पोषण व स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के बारे में जागरूकता बढी है। वर्तमान में महिला सशक्तिकरण का अर्थ कुछ इस प्रकार लगाया जाता है कि जैसे महिलाओं को किसी वर्ग विशेषकर पुरूष वर्ग का सामना करने के लिए सुदृढ किया जा रहा है। प्राचीन काल में नारी को पुरूष के समान ही अधिकार प्रदान किये है। उसे अपने जीवन की गरिमा को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है।[4]

नारी सशक्तिकरण की पैरवी करते हुए हम इस बात को नकार नहीं सकते कि जब हम किसी एक को सुदृढ करने की बात करते है तो स्वाभाविक तौर पर हम दूसरे व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर रहे होते है। कहा यह भी जा सकता है कि महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए जरूरी है पुरूष वर्चस्व को कम किया जाए। हम गर्व के साथ सरकारी योजनाओं को अपना रहे है लेकिन हम यह क्यों भूल जाते हैं कि महिलाओं के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाएं उन्हें शोषित और अधीनस्थ होने का एहसास कराती है।

घरेलू हिंसा को रोकने और बढ़ावा देने जैसे कानून हमारे समाज की इसी कडवी सच्चाई को बयान करते है कि समय बदल जाने के बाद भी पुरूष आज भी महिलाओं को शोषित ही बनाए रखना चाहते है। सशक्तिकरण वह बहु–आयामी प्रक्रिया है, जो कि महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता का पर्याप्त विकास करने का प्रयत्न करती है। सशक्तिकरण का अर्थ शक्ति का अधिग्रहण मात्र नही है, अपितु इसके द्वारा उनमें शक्ति के प्रयोग की क्षमता का समुचित विकास किया जाता है। महिलाओं को हाशिए से हटाकर समाज की मुख्य धारा में लाना, निर्गम लेने की क्षमता का विकास करना, उनमें पराश्रितता की भावना और हीन भावना को समाप्त करना ही सशक्तिकरण है।[5]

वर्तमान समय में पूरे विश्व में काम के घंटो में 60 प्रतिशत से अधिक योगदान महिलाओ का होता है फिर भी वे एक प्रतिशत संपत्ति की ही मालिक है। आकडों से स्पष्ट है कि महिलाएं एक दिन में पुरूषों से छह घंटे अधिक कार्य करती है। पचास प्रतिशत कामकाजी महिलाएं कार्यस्थल पर उत्पीडन का शिकार होती है।[6]

देश में स्त्री–पुरूष साक्षरता एवं लिंग अनुपात पर दृष्टि डालने पर यह पता चलता है कि देश में महिलाओं के प्रति बढ रहे अपराधो के कारणों में प्रमुख है–धर्म, जाति, वर्ग, पारिवारिक संरचना नातेदारी, विवाह पद्धति, नगरीकरण आदि।

हमारा पुरूष प्रधान समाज जिन संस्कारो, परम्पराओं और मर्यादाओं की दुहाई देकर महिलाओं के एक दायरे में बांधे रखना चाहता है पुरूषों द्वारा उन्हीं सीमाओं का अधिक्रमण और अवमानना कोई नई बात नहीं है। पुरूष वर्ग आज भी नारी वर्ग को अपने अधीन रखना चाहता है। पर सशक्तिकरण के इस दौर में नारियां स्वयं को पुरूषों से बेहतर साबित करने का हर संभव प्रयास कर रही है और सफल भी हो रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश नारी सशक्तिकरण केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सिमटकर रह गया है। एक ओर बड–बड शहरों और महानगरों में रहने वाली महिलाएं शिक्षित, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, विभिन्न क्षेत्रों में ऊँचे पदों पर पदासीन और आधुनिक विचारधारा की है जो पुरूषों के दमन को किसी रूप में स्वीकार करना नही चाहती तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी है जो आज भी पुरूषों के अत्याचार को झेल रही है। इन क्षेत्रों में आज भी नारी अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगा है। अधिकतर ग्रामीण महिलाएं न तो अपने अधिकारों को समझती है। वे अपने ऊपर हो रहे सभी सामाजिक, आर्थिक अत्याचारों को अपना भाग्य समझने को विवश है। वर्तमान समय में महिलाएं भले ही आर्थिक तौर पर आत्म निर्भर बन गई है लेकिन समाज की नजरों में उसकी स्थिति में परिवर्तन न के बराबर है। वास्तविकता यही है कि आज भी सामाजिक और पारिवारिक हालत में ज्यादा बदलाव नही आए है। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण पुरूषो को आज भी महिलाओं से ऊपर ही समझा जाता है।

आज सशक्तिकरण के इस दौर में महिलाएं अपने अधिकारों के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगी है। क्योंकि वे यह बात समझ चुकी है कि पुरूष के अधीन रहने का साफ अर्थ उसे अपनी मर्जी करने देने की छूट प्रदान करना होता है। आज की महिलाएं स्वावलंबी एवं शिक्षित है। वे समानता के अधिकार को सिर्फ किताबों में पढकर संतुष्ट नहीं है। आज हमारा समाज आधुनिकता की राह पर चल रहा है।

कानूनी प्रावधान

सशक्तिकरण के इस प्रयास में 1992 में 73वें एवं 74वें संवैधानिक संसोधन के बाद महिलाओं ने पंचायतों एवं ग्रामीण स्थानीयशासी निकायों में महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों पर उत्कृष्ट काम हुआ। संसद एवं विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटे आरक्षित की गई।

हमारे संविधान का अनुभाग 15 (1), के लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। पर अनुभाग 15 (2) महिलाओं एवं बच्चों के लिए अलग नियम बनाने की अनुमति देता है। संविधान के अनुभाग 243 डी और 243 टी के अंतर्गत निकायों के सदस्यो एवं उनके प्रमुखों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित की गई है। परिवार न्यायालय अधिनियम के अन्दर परिवार न्यायालय का गठन किया गया। इसके धारा 4 (4) के अंतर्गत न्यायालय में न्यायगण की नियुक्ति करते समय महिलाओं को वरीयता दी गई है। महिलाओं के कल्याणर्थ 1961 में दहेज निषेध अधिनियम एवं प्रसूति लाभ अधिनियम, 1986 में अश्लील चित्रण निवारण अधिनियम एवं 2006 में घरेलू हिंसा महिला (संरक्षण) अधिनियम भी पारित किये गये। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस प्रयास करते हुए सरकार द्वारा 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना तथा 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। 1992 से देश में प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला कल्याण हेतु महिला समृद्धि योजना, महिला सामाख्या, इंदिरा महिला योजना, बालिका समृद्धि योजना आदि चलाए गये।

उपाय

सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में किये गए इन प्रयासों के बावजूद भी दशा अबतक शोचनीय है। कन्या आज भी अधिकांश घरों में अनचाही संतान है। यही पसंद ना पसंद लैंगिक भेदभाव का सर्वप्रमुख कारण है। समाज में लैंगिक न्याय होना चाहिए। लैंगिक न्याय अर्थात किसी के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नही होना चाहिए। हमें दूरस्थ गावो में रहने वाली महिलाओं के जीवन स्तर पर भी ध्यान देना होगा। महिला आयोग जैसे संगठनो को ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में समान कार्य करना होगा। देश की इस आधी आबादी को शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है जिससे उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान हो। महिला सशक्तिकरण के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी आयामों को लागू करना होगा। मूल्य, मान्यताओं व संवेदनाओं को देखते हुए महिलाओं को जागरूक किया जाए। साथ ही सरकारी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन होना अत्यंत आवश्यक है जिससे समाज को अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सके। नारी सशक्तिकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों के लिए यह आवश्यक है कि समाज की मानसिकता, सोच को बदला जाए। उत्पीडिताओं को सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा सहायता प्रदान

की जाए तथा उन्हें स्वरोजगार एवं रोजगार मुहैया कराई जाए।

राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली गोष्ठियों में इस तथ्य को उठाना चाहिए तथा उस पर कार्य किए जाने चाहिए केवल वाद विवादों से महिला उत्थान संभव नही। साथ ही महिलाओं को भी अपने सम्मान हेतु आगे आने की और पुरूष के वर्चस्व को चुनौती देने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. महिला शक्तिकरण–चुनौतियाँ एवं संभावनाएँः अलिवा मंजरी
2. कोमल है कमजोर नही– डॉ. स्मिता मिश्र
3. कोमल है कमजोर नही– डॉ. स्मिता मिश्र
4. क्या है महिला सशक्तिकरण? राकेश कुमार आर्या
5. महिला सशक्तिकरण–चुनौतियाँ एवं संभावनाएँः अलिवा मंजरी
6. महिला सशक्तिकरण–चुनौतियाँ एवं संभावनाएँः अलिवा मंजरी
7. आज की दुर्गा– कृष्णा वीरेन्द्र न्यास
8. वूमन एंड इम्पावरमेन्ट– सुषमा सहाय
9. इंडियन अप्रोच टू वूमन इम्पावरमेन्ट–भारत झुनझुनवाला एवं मधु झुनझुनवाला
10. सोशल इक्यू डॉट कॉम